

12.2.24

वकील उभयपक्ष उपस्थित उपखण्ड
अधिकारी महोदय अन्य कार्य में
व्यस्त/मीटिंग/अवकाश पर है। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 22.7.24 को पेश है।

22.4.24

वकील वादी उपस्थित। वकील उभयपक्ष
को अग्रणीगण की तलबी हेतु कई
दफा हिदायत दी गई लेकिन
अग्रणीगण की तलबी नहीं देने
के कारण पत्रावली को तलबी के
अभाव में O.R.-5 CPC के अन्तर्गत
रूखाजि किया जाता है।

पत्रावली नम्बर 6 कास की
भावाल बाद तकमील कार्रवाई दफतर
है।

(रूखाजि गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन महासूचना कलेक्टर
दिल्ली

